International Journal of Geology, Agriculture and Environmental Sciences
Volume – 9 Issue – 1 January-June 2021 (Special Issue)
Website: www.woarjournals.org/IJGAES ***ISSN: 2348-0254***

नागरिक को सशक्त बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में सूचना का अधिकार

उपविषय –सूचना के अधिकार अधिनियम की भारत में स्थिति

श्रीमती सुधा सोनी[1], राजीव सोनी[2]
[1]शोधार्थी अवधेश प्रताप सिहं विश्वविद्यालय, रीवा
[2]पूर्व विभागाध्यक्ष (प्रभारी) समाजकार्य एकेएस विश्वविद्यालय सतना।

सारांशः भ्रष्टाचार को समाप्त करने के ध्येय के साथ शुरू किये गये RTI अधिनियम भ्रटाचार को थोडा ही कम कर पाने मे ही सफल हो सका है भारत देश में ' सूचना के अधिकार को लागू हुये करीब 15 बर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है परन्तु आज भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त है ।

देश का प्रत्येक नागरिक सत्ता व शासन में कैसे भागीदारी कर सकते है जनता कैसे समझ सकती है कि फैसले कैसे किये जा रहें है। साधारण लोग कैसे जाने कि कर (Tax) से आये पैसे को कैसे खर्च किया जा रहा है या सार्वजनिक योजनाएँ सही तरीके से चलाई जा रही है या नही या फैसले लेते समय सरकार ईमानदारी और निष्पक्षता से काम कर रही है या नही सरकारी अधिकारियो का काम जनता की सेवा करना है, पर इन अधिकारियों का जनता के प्रति जबाबदेह कैसे बनाया जाये इन सभी का उत्तर प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार को होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र मूलमंत्र ''जनता का जनता के लिये जनता द्वारा शासन'' है। लिहाजा ऐसा लोकतंत्र तभी सम्भव हो सकता है, जब शासन प्रशासन को देश और राज्य की जनता के प्रति अधिकारियो जबाबदेह व पारदर्शी बनाया जाये।
पिछले कई दशको से विश्व के अलग–अलग लोकतांत्रिक देशो की शासन व्यवाथाओं में ''गोपनीयता'' स्वाभाविक चीज बनी रही। विभिन्न दस्तावेजो में कैद सूचनाओं को गोपनीय अथवा वर्गीकृत करार देकर नागरिको की पहुॅच से सर्वथा दूर रखा जाता था जहॉ तक भारत का सम्बंध है, भारत में भी लगभग यही स्थिति थी ब्रिटिश सरकार ने एक शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 बनाया जिसके तहत सरकार एवं शासन कार्य–प्रणालियो से जुडी हुई सुचनाएँ गोपनीय रखी जाती थी और जिसे जानने का किसी भी भारतीय को कोई हक नही था, यह सब कुछ आजादी से पूर्व की स्थिति है। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो हमारे जन प्रतिनिधियों एवं नौकरशाहो ने इस ब्रिटिश औपनिवेथिक विरासत में मिले गोपनीयता कानून को यथावत रखा, और आम नागरिको को शासन प्रशासन की नीतियो से जुडी वांछित सूचनाएँ प्रदान नही की जाती थी और जिसके कारण उस कानून का प्रभाव देश की व्यवस्थाओं में 1947 से 2005 तक पर्याप्त देखने को मिला, परंतु एक जबाब देही एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था को कायम रखने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे कानून की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी।
भारत में दिसम्बर 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह ने ऑफीसर शिमला सीक्रेट एक्ट में सुधार लाने के काफी ज्यादा प्रयास किये पर वो पूर्णतः सफल न हो सके। इस बीच सूचना के अधिकार के कानून को लेकर राज्य स्तर पर

प्रयास दिखने लगे तथा 1994 में राजस्थान के किसानो ने अरूण राय एवं निखिल डे के नेतृत्व में ''हमारा पैसा हमारा हिसाब आंदोलन चलाया और सम्पूर्ण दे में आन्दोलन के जरिये सूचना के अधिकार'' को प्रसिद्धि दिलवायी।

परिणाम स्वरूप तामिलनाडू में 1997 में, गोवा में 1997 में कर्नाटका 2000 में, राजस्थान में 2000 में दिल्ली में 2001 में असम में 2002 में महाराष्ट्र में 2000 में मध्यप्रदेश में 2005 में जम्मू–कश्मीर में 2005 तथा सम्पूर्ण भारत में 2005 में सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम को मार्च 2005 में सूचना का अधिकार विधेयक ससंद में पेश किया, अततः हमे 11 मई 2005 को लोकसभा में तथा 12 मई को राज्यसभा ने भी हमें पारित कर दिया। 12 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी इस तरह 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया तथा इस दिन से प्रभाव में आ गया।

संकेतांक : RTI (सूचना का अधिकार),अधिनियम,भ्रष्टाचार,सूचना,नागरिक अधिकार पत्र

परिचय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कुल 31 अनुच्छेद 6 अध्याय 2 अनुसूचियॅा के अर्न्तगत नागरिको से आवेदन लेने तथा उनको उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की गयी है।

स्वीडन से एक ऐसा प्रकाश कानून के रूप में प्रशासन पारदर्शिता को प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ जिसने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण विश्व के लगभग सभी देशो के प्रशासन को पारदर्शिता प्रदान करने की ओर अग्रसर है सूचना के अधिकार नाम से अन्य नामो से अधिकत्तर देशो में अपनाया है। जिससे सम्पूर्ण समाज में पारदर्शिता बने रहने में सहायता प्रदान की है।

लोक प्रशासन के जनक बुडरो विल्सन का मानना है कि मेरा एक विश्वास है कि सरकार को पूरी तरह बाहर अर्थात खुला होना चाहिये न कि अदंर अर्थात बंद में अपनी ओर से यह मानता हूॅ कि कोई जगह ऐसी नही होनी चाहिए जहॉ वो सब कुछ किया जा सके जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति कुछ नही जानता हो'' ठीक इसी प्रकार जेम्स मैडीसन का कहना है कि जो लोग अपने शासन बनना चाहते है, उन्हे अपने आपको उस शक्ति से लैस रखना चाहिए जो ज्ञान प्रदान करता है। 1992 में विश्व बैंक ने प्रशासन और विकास नामक दस्तावेज जारी किया था इसमें प्रशासन के सात पहलुओं या तत्वो का उल्लेख किया था जिससे एक पारदर्शिता और सूचना भी प्राप्त हो

लोकतंत्र में सरकार की सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा बहुत सीमा तक स्वच्छ, कुशल तथा पारदर्शी प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर करती है। भारत का संविधान देश के नागरिकों को भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता प्रदान करता है, किन्तु जानने का अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो बिना सूचना या जानकारी के व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या औचित्य है? वर्तमान युग में तो सूचना ही जीवन का प्राण है।

प्रशासनिक कार्यों की जानकारी आम जनता को प्रायः नहीं दी जाती है। इस राह में सबसे बड़ी बाधा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 है जिसके अनुसार देश की एकता, अखण्डता तथा सम्प्रुभता की रक्षा के लिए शासन की नीतियों या प्रक्रियाओं की जानकारी जनसाधारण से छुपाकर रखी जाती है। व्यावहारिक स्थिति यह है, कि एकता, अखण्डता या सम्प्रभुता जैसे मुद्दों से कोसों दूर इतर तरह की सूचनाएँ भी जनसाधारण को प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसका राशनकार्ड कब तक बन जाएगा या वरिष्ठता सूची में उसका नाम कितने क्रमांक पर है तो इसमें राष्ट्र की सुरक्षा को क्या खतरा है? इसी क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दिनकर लाल मेहता ने जयपुर शहर की गन्दगी के बारे में दायर एक जनहित याचिका (एल.के. कूलचाह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए.आई.आर. 1988, राज. 2) के निर्णय में कहा था कि शहर के प्रत्येक नागारिक को शहर की गातिविधियों, प्रशासन के क्रियाकलापों तथा प्रयासों की जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है।

प्रशासकीय गुप्त बात अधिनियम (Official Secrecy Act) के अतिरिकत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 भी सूचना के अधिकार की राह में एक बाधा है। इस कानून की धारा – 123 के अनुसार राज्य के कार्यकलापों की जानकारी प्रशासनिक तंत्र से बाहर उजागर करना या न करना विभागध्यक्ष पर निर्भर है। इसी तरह धारा – 124 के अनुसार किसी अधिकारी (लोक सेवक) को शासकीय सूचनाएँ उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा एक शताब्दी पूर्व निर्मित इन कानूनों का वर्तमान में क्या महत्त्व रह गया है, इस पर गम्भीरतापूर्वक मनन करने की आवश्यकता है। वर्तमान परिवर्तित परिदृश्य में लोकतांत्रिक प्रशासन का यह दायित्व बनता है कि वह आम जनता को विदेश तथा रक्षा नीति के अतिरिकत सभी सूचनाएँ उपलब्ध करवाए। स्वतंत्रता के इन लगभग छः दशकों में एकत्र हुए फाइलों के ढेर को शोधर्थियों, पत्रकारों, जिज्ञासुओं तथा आमजन के लिए खोल देना श्रेयस्कार है ताकि भविष्य का सुखद आधार तैयार हो सके।

सूचना के अधिकार का अर्थ है – लोगों तक सरकारी सूचना की पहुँच। इससे आशय यह है कि नागरिको तथा गैर–सरकारी संगठनों की सरकारी कार्यो, निर्णयों तथा उनके निष्पादनों से संबंधित फाइलों तथा दस्तावेजों तक औचित्यपूर्ण स्वतंत्र पहुँच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सरकारी कार्यकलापों में खुलापन और पारदर्शिता हो। यह लोक प्रशासन मे ंगोपनीयता के विपरीत है।

1992 में विश्व बैंक ने 'प्रशासन और विकास' नामक दस्तावेज जारी किया था। इसमें प्रशासन के सात पहलुओं या तत्वों का उल्लेख किया गया था। जिनमें से एक पारदर्शिता और सूचना भी था।

सूचना के अधिकार के महत्व को विख्यात प्रशासनिक विचारकों तथा कर्त्ताओं ने इन कथनों से स्पष्ट किया है–

बुडरो विल्सन :– ''मेरा एक विश्वास है कि सरकार को पूरी तरह बाहर (अर्थात खुला) होना चाहिए न कि अंदर (अर्थात बंद)। मैं अपनी ओर से यह मानता हूँ कि कोई जगह ऐसे नहीं होनी चाहिए जहाँ वो सब कुछ किया जा सके जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं जानता हो।'' प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भ्रष्टाचार गोपनीय सीलों पर होता है और सार्वजनिक स्थलो की उपेक्षा करता है।

जेम्स मैडीसन :– ''जो लोग अपने शासक अनना चाहते हैं उन्हें अपने आपको उस शक्ति से लैस रखना चाहिए जो ज्ञान प्रदान करता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार सूचना या इसको प्रदान करने के साधन के बिना एक ढोंग या त्रासदी या कदाचित दोनों है।

लॉर्ड एकटन . ''कोई वो चीज सुरक्षित नहीं जो चर्चा और प्रचार बर्दाश्त नहीं कर सकती।''

मेक्स बेवर ''सुनिश्चित सत्ता की मूल प्रवृत्ति के कारण नौकरशाही उस प्रत्येक प्रयास से लडती है जो अपने विशेषज्ञों के माध्यम से संसद जानकारी प्राप्त करने के लिये करती है'' और ''नौकरशाही स्वाभाविक रूप से ऐसी संसद का स्वागत करेगी जिसको जानकारी कम हो और अशक्त हो और कम से कम इतनी अज्ञानी तो हो ही कि वह नौकरशाही के हितों से सहमत हो सके।''

भूमण्डलीय परिदृश्य ''स्वीडन पहला ऐसा देश था जिसने सूचना के अधिकार को लागू किया। स्वीडन में यह अधिकार प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा 1766 में नागरिकों को सौंपा गया। इस देश में सरकारी दस्तावेजों तक पहुँच एक अधिकार है। तथा गैर पहुँच एक अपवाद है।

स्वीडन के बाद 1991 में सूचना के बाद स्कंेडेनेवियन देशों में फिनलैण्ड ने काफी समय के बाद 1991 में सूचना के अधिकार को उपलब्ध कराने के लिए कानून बनाया। 1970 में डेनमार्क और नार्वे ने भी इसी प्रकार के कानून बनाये।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (1966) के द्वारा नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया। इस अधिनियम को 1974 में दो प्रयोजनों से संशोधित किया गया।

(1) उन्मुक्तियों (ऐसे दस्तावेज जिन्हें प्रशासन गोपनीय रख सकता है।) को सीमित करने तथा

(2) सूचना उपलब्ध न कराने पर जुर्माना लगाने के लिए।

फ्रांस, नीदरलैण्ड और आस्ट्रिया ने 1970 के दशक में इसी प्रकार के कानून बनाये। कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड ने 1982 में सूचना अधिकार के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण किया। 1970 में थाईलैण्ड और आयरलैण्ड ने तथा 2000 में बुल्गारिया ने संबंधित कानून लागू किए।

ब्रिटेन में फुल्टन समिति (1966–68) ने लोक प्रशासन में अत्यधिक गोपनीयता को पाया। इसलिए इसने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1911 की जाँच हेतु अपनी सिफारिश की। 1972 में फ्रेंक्स कमेटी ने भी इसी प्रकार की सिफारिशें की। अतः 1988 में इस अधिनियम को संशोधित कर दिया गया और अन्त में 1 जनवरी 2005 को ब्रिटेन में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम अस्तित्व में आया।

भारत में स्थिति . भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नही जो नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता हो परंतू 1975 से सर्वोच्च न्यायालय यह कहता रहा है कि सूना का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। जिसकी गारंटी भारत के संविधान की धारा 19(1)(a) में दी गई है।

भारत में सरकारी सूचना को जनता के सामने सार्वजनिक करने पर विभिन्न कानून और नियम प्रतिबंध लगाते हैं और इस प्रकार प्रसाासन में गोपनीयता की हिमायत करते है –

पाँचवे वेतन आयोग (1994–97) ने सिफारिश की थी कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम को समाप्त कर देना चाहिए और सूचना अधिकार अधिनियम को लाना चाहिए।

2005 में संसद ने 'सूचना अधिकार अधिनियम पारित' किया। इसके विभिन्न प्रावधान ये हैं –

1. प्रत्येक नागरिक को यह सरकारी अधिकारियों के अधीन ऐसी सूचना को हासिल करने की स्वतंत्रता देता है जो जनहित से मेल खाती हो।
2. नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करके इसका साक्ष्य प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना है।
3. यह नागरिकों को अधिकार देता है कि वे विभिन्न योजनाओं, उनके कार्यान्वयन की अवस्था तथा अन्य संबंधित विवरण के बारे में सरकारी तंत्र से जानकारी हासिल कर सके।
4. नागरिको के प्रार्थनापत्रों पर कार्यवाही करने के लिए यह एक अधिकारी की घोषणा करता है जिसका दर्जा उपजिलाधिकारी से कम न हो।
5. इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कार्यक्रम अधिकारी को एक निर्दिष्ट प्रपत्र भर कर देगा जिस पर वह सूचना सूचना एकत्र करने के कारण लिखकर देगा/देगी।
6. इसमें आशा की गई है कि सरकार नागरिकों से प्रार्थनापत्र लेने के 30 दिन के भीतर सूचना उपलबध करा देगी।
7. यह प्रत्येक सरकारी अधिकारी को बाध्य करता है कि वह सूचना उपलबध कराए और विधिवत सूचीकृत, अनुक्रमित तथा प्रकाशित कार्यवाही संबंधी आवश्यक्ता के अनुकूल सारे अभिलेख बनाए रखे।
8. यह घोषित करता है कि निम्नलिखित प्रवर्गो की सूचनाओं को प्रकट नहीं किया जा सकता :–

1. वह सूचना जिससे भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो।
2. मंत्रिमंडल के कागजात से संबंधित
3. अनुसंशाओं और पत्र व्यवहार वाले आंतरिक कार्य संचालन संबंधी कागजात।
4. जिस सूचना से संसद या राज्य विधायिका के विशेषाधिकार का हनन होता है।
5. वह सूचना जिससे केन्द्र और राज्य के परस्पर संबंध प्रभावित हो।
6. वह सूचना जो सरकारी अधिकारियों के प्रबंधन तथा, कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो।
7. व्यापारिक या वाणिज्यिक गोपनीयता ये संबंधित सूचना।
8. वह सूचना, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवसाि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

सूचना के अधिकार लोक प्रशासन में पारदर्शिता (Transparency) अर्थात् छुपाव–विहीन प्रणाली अपनाने तथा आम आदमी को सूचना प्राप्त करने के लिए भारत में मौंग उठाई जाने लगी है।

इसी प्रकार भारत में नागरिक अधिकार पत्र (Citizens Charter) भी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा जारी किए गए हैं। सन् 1991 में ब्रिटेन में प्रथम बार नागरिक अधिकार पत्र जारी हुए थे। इन नागरिक अधिकार पत्रों में प्रशासनिक कार्यालय या संगठन द्वारा उन नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं तथा अधिकारों का वर्णन होता है जो जनता या उपभोक्ता के हितों के संवर्धन के लिए होते हैं। इनमें जनता को जागरूक तथा चेतनायुक्त बनाने के अतिरिक्त प्रशासनिक पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाती है। नागरिक अधिकार पत्रों में जनसाधारण की शिकायतों के निवारण की प्रणाली भी वर्णित की जाती है।

भारत में दिसम्बर 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह ने आफीसर शिमला सीक्रेट एक्ट में सुधार लाने के काफी ज्यादा प्रयास किये पर वो पूर्णतः सफल न हो सके। इस बीच सूचना के अधिकार के कानून को लेकर राज्य स्तर पर प्रयास दिखने लगे तथा 1994 में राजस्थान के किसानो ने अरूण राय एवं निखिल डे के नेतृत्व में ''हमारा पैसा हमारा हिसाब आंदोलन चलाया और सम्पूर्ण दे में आन्दोलन के जरिये सूचना के अधिकार'' को प्रसिद्धि दिलवायी। सामाजिक कार्यकर्ता श्री एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में जनवरी, 1997 में सूचना की स्वतंत्रता सम्बन्धी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक कार्य दल गठित किया गया था। कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट तथा प्रसतावित विधेयक का प्रारूप मई, 1997 में सरकार को सौंपा जिसमें देश की सुरक्षा से सम्बन्धित 11 क्षेत्रों के अतिरिकत अन्य सभी विषयों पर प्रशासन द्वारा जनता को सूचना उपलब्ध करवाने की सिफारिश की गई थी। इसी क्रम में केन्द्र सरकार ने 25 जुलाई, 2000 को लोकसभा में **सूचना की स्वतंत्रता विधेयक** प्रस्तुत किया जो केन्द्रीय स्तर पर **सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002** के रूप में पारित हुआ। सन् 2002 के 'सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम' में वयाप्त कमियों को दूर करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित किया है जिसमें केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों

के प्रावधान किए गए हैं। ये आयोग सूचना के अधिकार सम्बन्धी प्रकरणों का अधीक्षण, निर्देशन तथा प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। इन आयोगों के मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों को से लागू हो गया है। अक्टूबर, 2005 में श्री वजाहत हबीबुल्ला (आई.ए.एस.) देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। इस संबंध में भारतीय प्रेस परिषद् के पूर्व अध्यक्ष न्यायामूर्ति पी.बी.सावंत का कहना है– ''अगर सूचना के अधिकार के साथ–साथ अन्य संस्थाओं, जैसे – जन संचार माध्यामों, गेर सरकारी संगठनों तथा लोकपाल एवं लोकायुकत को सक्षम नहीं बनाया गया तो यह अधिकार निरथ परिणाम स्वरूप तामिलनाडू में 1997 में, गोवा में 1997 में कर्नाटका 2000 में, राजस्थान में 2000 में दिल्ली में 2001 में असम में 2002 में महाराष्ट्र में 2000 में मध्यप्रदेश में 2005 में जम्मू–कश्मीर में 2005 तथा सम्पूर्ण भारत में 2005 में सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया। कि सिद्ध होगा।''

वर्ष 2005 से 2020 तक की स्थिति

यदि पिछले 15 सालों की बात देखे तो प्राप्त कुल आवेदनो 3,32,71,034 मे से से सबसे ज्यादा 9,263,816 आरटीआई आवेदन केंद्र सरकार के लिए दायर किए गए हैं. इसके बाद महाराष्ट्र राज्य का नंबर आता है, जहां पिछले 15 सालों में 6,936,564 आरटीआई आवेदन दायर किए गए हैं.

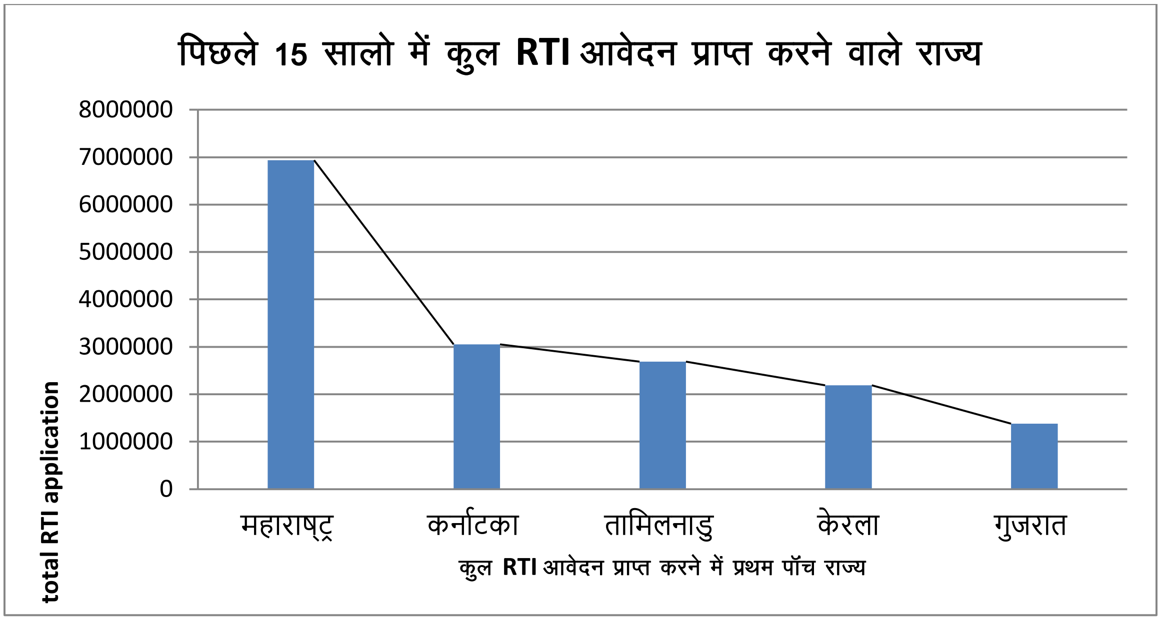

Source: वर्षिक रिर्पोट ,RTI वेबसाइट

इसी तरह कर्नाटक में 3,050,947, तमिलनाडु में 2,691,396, केरल में 2,192,571, गुजरात में 1,388,225, राजस्थान में 1,212,827, उत्तराखंड में 969,511, छत्तीसगढ़ में 896,288, बिहार में 884,102, आंध्र प्रदेश में 804,509, पंजाब में 792,408 और हरियाणा में 613,048 आरटीआई आवेदन दायर किए गए हैं.

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 484,356, ओडिशा में 411,621, मध्य प्रदेश में 184,112, असम में 182,994, पश्चिम बंगाल में 98,323, जम्मू कश्मीर में 73,452, झारखंड में 67,226, त्रिपुरा में 42,111, गोवा में 32,283, नगालैंड में 28,604, अरुणाचल प्रदेश में 26,152, मेघालय में 18,527, मिजोरम में 16,115, सिक्किम में 5,120 और मणिपुर में 4,374 आरटीआई आवेदन दायर किए जा चुके हैं.

आरटीआई एक्ट के तहत सबसे ज्यादा आवेदन प्राप्त करने वाले बड़े राज्यों में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पिछले 15 सालों में हर साल औसतन 630,596 आरटीआई आवेदन दायर किए गए हैं.

सूचना आयोगों में दूसरी अपील

आरटीआई एक्ट के तहत जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने से इनकार किए जाने पर कानून में ये व्यवस्था दी गई है कि आवेदन संबंधित सूचना आयोग में इसके खिलाफ अपील और शिकायत दायर कर सकते हैं, जो इस पर निर्णय लेगा कि सूचना दी जा सकती है या नहीं. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2005–06 से लेकर 2019–20 तक केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों में कुल 21.86 अपील एवं शिकायतें दायर की गई हैं

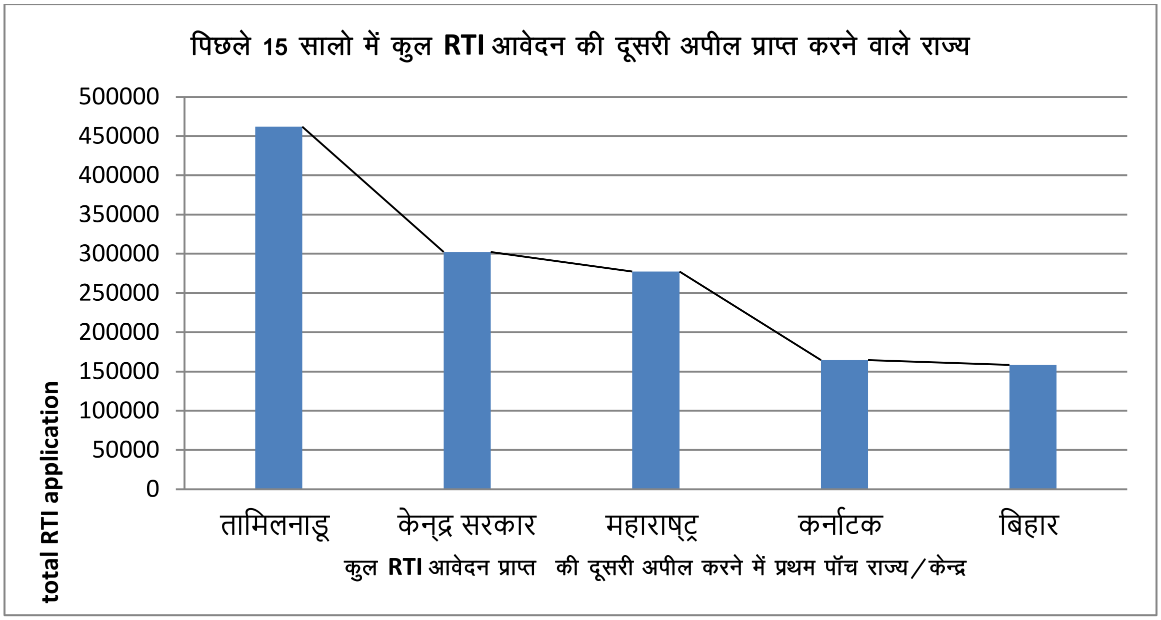

Source: वर्षिक रिर्पोट ,RTI वेबसाइट.

सबसे ज्यादा तमिलनाडु सूचना आयोग में 461,812 अपील एवं शिकायतें दायर की गई हैं. इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग का नंबर आता है, जहां पिछले 15 सालों में कुल 302,080 शिकायतें एवं अपीलें दायर की गई हैं.

तर्क :–

सूचना का अधिकार निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है –

1. यह प्रशासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाता है।
2. यह प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम करता है।
3. यह जनता को प्रशासनिक निर्णय–निर्माण से अवगत कराता है।
4. यह लोकसेवकों द्वारा जनता तक उत्पादों और सेवाओं को बेहतर ढंग से पहुँचाने में मदद करता है।
5. यह प्रशासन की बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सकारात्मक आलोचना को आसान बनाता है।
6. यह प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ाता है।
7. प्रशासनिक निर्णय–निर्माण में स्वेच्छाचारिता को हतोत्साहित करके जनहित को प्रोत्साहित करता है।
8. यह लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार के अवसरो को घटाता है।
9. प्रशासन में खूलेपन और पारदर्शिता को बढावा देकर यह जनतंत्र की विचारधारा को आगे बढाता है।
10. यह प्रशासन को जनता की आवश्यक्ताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।
11. यह लोक सेवकों द्वारा सत्ता के दुरूपयोग के अवसरों को कम करता है।

निष्कर्ष : सूचना के अधिकार को लागू हुये 2005 से आज 2020 तक करीब 15 बर्षो का समय बीत जाने के बाद भी देश में आज भी भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा । उपरोक्त आकडों के आधार पर देखते हैं कि देश उन भागो में इस अधिनियम का ज्यादा प्रयोग देखने को मिला है जहॉं पर लोग ज्यादा शिक्षित हैं और अपने अधिकारों के उपयोग करने की जानकारी रखते हैं ।

निष्कर्षानुसार सूचना के अधिकार के प्रयोग हेतु सरकार को जागरुकता अभियान चलाने का प्रयास करना चाहिये ।

सन्दर्भ :

सूचना के अधिनियम 2005

मुख्य सूचना आयोग , भारत सरकार

Right To Information Act, 2005, Rules 2012 (Diglot Version)

RTI सूचना का अधिकार (RTI Suchana ka Adhikaar) :अरुण कुमार

सूचना के अधिनियम 2005 (सरल शब्दो में): देवेन्द्र कुमार सिहं